न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :— प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा संख्या :— 114 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 262

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण।**

1. अणदा पुत्र कला फौत के
   कायम मुकाम—
   अः— जबराराम पुत्र अणदा
   बः— रेशम पत्नी स्व. अणदा
   कौम मेघवाल, निवासीगण
   — जाखल, तहसील— सांचौर

1 .स्व. उदा पुत्र कला के
कायम मुकाम—
अ— चम्पा पुत्र उदा।
ब— भेमा पुत्र उदा।
स— गणपत पुत्र उदा।
द— पारसा पुत्र उदा।
य— जेठा पुत्र उदार— मूली पत्नी उदा।

2. करमी पुत्र कला नाओलाद फौतः—
3. हंसा पुत्र कला।
4. स्व. थुला पुत्र वरजांगा के कायम मुकामः—
   1— सगता पुत्र थूला।
   2— परखाराम पुत्र थूला।
   3— स्व. रणछोडा पुत्र थूला के कायम मुकाम—
   1— मेखा पुत्र रणछोडा।
   2— रूगनाथ पुत्र रणछोडा।
   3— गणपत पुत्र रणछोडा।
5. छोगा पुत्र जेता।
6. जोरा पुत्र जेता।
7. जगरूपा पुत्र जेता।
8. शंकरा पुत्र नगा कौम — मेघवाल,निवासीगण जाखल, तहसील— सांचौर।
9. भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. व आदेश 22 नियम 4(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचंद विश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद उपस्थित।

–: निर्णय प्रार्थना–पत्र :–

दिनांक :–25.02.2026

वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभय पक्षकारान की आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व आदेश 22 नियम 4(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुना गया। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अपने वाद के पैरा संख्या 3 में मुकदमा संख्या 51/61 दिनांक 17.04.1961 को निर्णय होने बाबत् तथ्य को स्वीकार किये है तथा उक्त निर्णय की वादीगण द्वारा आज दिन तक अपील न कर इसी विषय वस्तु के संबंध में यह पुनः वाद पेश किया है जो वादीगण का वाद विधि द्वारा पूर्णतया वर्जित है तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 5 छोगा व प्रतिवादी संख्या 6 जोरा को वाद में पक्षकार बनाया गया है जबकि वाद पेश करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 5 छोगा की मृत्यु करीबन 37 वर्ष पूर्व व प्रतिवादी संख्या 6 जोरा की मृत्यु दिनांक 27.12.2023 को हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जगरूपा भी फौत हो चुके है ऐसी सूरत में वादीगण द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध वाद पेश किया है जो उक्त वाद एबेट किया जावें तथा वादीगण ने वाद के पैरा संख्या 7 में दिनांक 02.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 शस्त्रो से लेश होकर आये व मौखिक धमकियां की जबकि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 वाद पेश करने से कई वर्षो पहले फौत हो चुके थे यानि उक्त प्रतिवादीगण द्वारा धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होने से वादीगण का वाद विनाय वाद के अभाव में खारिज किया जावें। प्रतिवादी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में RRT 2016(2) पेज संख्या 1200 जगदीश बनाम नाथु की न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

वकील वादीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मुकदमा संख्या 51/1961 निर्णय दिनांक 17.04.1961 के आधार पर ना. सं. 166 के जरिये प्रतिवादीगण ने खातेदारी प्राप्त की है परन्तु उक्त नम्बर का वाद सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) न्यायालय सांचौर में पेश नहीं हुआ है इस कारण प्रतिवादी ने गलत तरीके से खातेदारी अपने नाम करवा दी है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण व वादीगण के बीच जमीनी विवाद होने से कई वर्षो से अलग–अलग गांवो में निवास करते है इस कारण वादीगण को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की मृत्यु की जानकारी नहीं थी तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर जानकारी होने से मृत प्रतिवादीगण के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है तथा वादीगण को जीवित

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

प्रतिवादीगण के साथ मृत प्रतिवादीगण के वारियान जो साथ थे, ने धमकियां दी थी इस कारण प्रतिवादी ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया उक्त निर्णय दिनांक 17.04.1961 मुकदमा नम्बर 51/61 जेता बनाम थूला वगैरह में स्पष्ट जाहिर किया है कि वाके सरहद जाखल के खेत खसरा संख्या 337 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा पूर्व की तरफ वादी जेता पुत्र मोटा जाति भांभी निवासी जाखल को खातेदारी हक दिये गये है।

इस प्रकार वादीगण ने भी अपने वाद के पैरा संख्या 3 में इसका उल्लेख किया गया है। तथा पुराने खसरा संख्या 337 से नवीन खसरा संख्या 690 रकबा 1.28 हैक्टेयर, 691 रकबा 1.10 हैक्टेयर व खसरा संख्या 711 रकबा 0.93 हैक्टेयर नवसृजित होना बताया है परन्तु वादीगण अधिवक्ता का तर्क है कि मुकदमा संख्या 51/61 दिनांक 17.04.1961 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध नही हुआ है उक्त निर्णय किसी अन्य आराजी का होने से उक्त निर्णय दिनांक 17/04/1961 से वादीगण का कोई लेना–देना नहीं है जबकि निर्णय व नामान्तरकरण संख्या 166 से स्पष्ट है कि पुराने खसरा संख्या 337 मे से रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि की खातेदारी हक जेता पुत्र मोटा जाति भांभी निवासी जाखल का प्रदान किये गये है तथा जेता व जेता की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिशान की खातेदारी व कब्जा काश्त की होना स्पष्ट है। वादीगण जबराराम व रेशम अणदा पुत्र वजा के वारिशान होने बाबत् उक्त वाद पेश किया है। जबकि मुकदमा संख्या 51/61 निर्णय दिनांक 17/4/1961 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) न्यायालय सांचौर सांचौर के निर्णय में अणदा पुत्र कला जाति भांभी निवासी जाखल प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार संयोजित होने से तथा उक्त निर्णय की अणदा पुत्र कला या वादीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसा दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण ने उक्त निर्णय दिनांक 17/04/1961 की अपील न कर इसी विषय वस्तु संबंधित पुनः वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है जो उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होना साबित है।

इसी प्रकार वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 5 छोगा व प्रतिवादी संख्या 6 जोरा को पक्षकार बनाकर वाद पेश किया है जो वाद पेश करने से पूर्व फौत हो चुके है जो प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र व वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. से स्पष्ट है।

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

प्रतिवादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त RRT 2016(2) पेज संख्या 1200 जगदीश बनाम नाथु का अध्ययन एवं अवलोकन किया उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि वाद पेश करने से पूर्व किसी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उक्त मृत प्रतिवादी को पक्षकार बनाया जाता है। तथा वादी द्वारा मृत व्यक्ति के वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. की श्रेणी में नहीं आने से व मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद पेश करने की दिनांक को वाद कारण उत्पन्न नही होने से वाद को खारिज किया गया।

हस्तगत प्रकरण में भी वादीगण ने मृतक प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 7 के वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी संख्या 5 छोगा की मृत्यु 37 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 करमी की मृत्यु 30 वर्ष पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या 6 जोरा की मृत्यु दिनांक 27.10.2023 को हुई है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 की मृत्यु वाद पेश करने से पूर्व हुई है तथा वादीगण ने उनके वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया है ऐसी स्थिति में उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण में चस्पा होने से हस्तगत प्रकरण मे भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद पेश करने की दिनांक का वाद कारण उत्पन्न नही होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुसार वादपत्र निम्नालिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।

(ख) जहां वादकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन का ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपपष्टि स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्आम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतित होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार उपरोक्त वाद में वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में मुकदमा संख्या 51/1961 दिनांक 17.04.1961 का निर्णय हो जाने से तथा प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 वाद पेश करने से पूर्व फौत हो जाने के उपरान्त वादीगण ने मृत प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बनाया होने से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वर्णित बिन्दु संख्या (क) वाद

सहायक कलेक्टर, सांचौर

हेतुक प्रकट न होना तथा (घ) वाद विधि द्वारा वर्जित होना हस्तगत प्रकरण में स्पष्टयता लागू होने से प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता व आदेश 22 नियम 4(3) सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या 8 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व आदेश 22 नियम 4(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वादपत्र वादीगण का धारा 40, 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का अस्वीकार (नामंजूर) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 25.02.26 को सर – ए – इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)